



कुलपति कार्यालय

गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145

पत्रांक: वी.सी./कोविड-19/2020/3570

दिनांक 27 जून, 2020
29

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-157/XXVII(7)2020/2016 दिनांक 25 जून, 2020 में उपबन्धित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय फार्म में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी एवं सफाई कर्मचारियों को उन्हें प्रतिमाह प्राप्त होने वाली कुल मासिक परिलब्धियों में से 01 दिन की परिलब्धि के समतुल्य धनराशि का योगदान (मई माह के वेतन जो जून 2020 में देय है से फरवरी माह का वेतन जो मार्च 2021 में देय है) मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किये जाने की तत्काल प्रभाव से छूट प्रदान की गयी है।

अतः कार्यालय आदेश सं० वी.सी./कोविड-19/2020/4915 दिनांक 01 जून 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

अतः उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संलग्न: यथोपरि शासनादेश।

कुलपति

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)।
2. नियंत्रक।


कुलपति

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या-157/XXVII(7)/2020
देहरादून: दिनांक: 25 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-132/XXVII(7)/2020 दिनांक 29 मई, 2020 द्वारा राज्य सरकार के विभागों एवं शासकीय/सहायता प्राप्त शिक्षण/प्रविधिक शिक्षण संस्थाओं एवं निगमों/निकायों/सार्वजनिक उपकरणों/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि (अखिल भारतीय सेवा सहित) में नियमित रूप से कार्यरत/पुनर्नियुक्त/को-टर्मिनस के आधार पर नियुक्त अधिकारियों/कार्मिकों को उन्हें प्रतिमाह प्राप्त होने वाली कुल मासिक परिश्रमियों में से 01 दिन की परिश्रमियों के समतुल्य धनराशि का योगदान "मुख्यमंत्री राहत कोष" में जमा किये जाने की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

2 उक्त वर्णित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-132/XXVII(7)/2020 दिनांक 29 मई, 2020 में उपबन्धित व्यवस्था से समस्त विभागों/संस्थाओं/निगमों आदि में नियुक्त वस्तुश्रेणी एवं ताकई कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से छूट प्रदान की जाती है।

3 कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29 मई, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या- 157(1)/XXVII(7)/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कोलागढ़, देहरादून।
- 2 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 3 समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
- 5 सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6 महानियंत्रक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
- 7 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
- 8 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 10 समस्त अध्यक्ष, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
- 11 समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
- 12 प्रबन्ध निदेशक, समस्त सार्वजनिक उपकरण/निकाय, उत्तराखण्ड।
- 13 कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
- 14 निदेशक, काभगार, पेशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 15 निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 16 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 17 समस्त वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक/आहरण-वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 18 वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
- 19 निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 20 मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग) अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 21 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अरुणेंद्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।